कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।

पत्रांक– 506 / 1सी0 (वन) दिनांक 2/4 /2018

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर।

विषय– **प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/19786/2016 राज्य योजना के अन्तर्गत लंगासू–निवाडी–खेत –सिलंगी मोटर मार्ग पर भारत सरकार द्वारा लगाई गई आपत्तियो के निराकरण के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः– आपका आनलाइन ई0डी0एस0 दिनांक 14.2.2018 , 20.3.2018 एवं इस कार्यालय का पत्रांक सं0 329 / 1सी0 वन दिनांक 14.2.2018

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके आनलाइन ई0डी0एस0 दिनांक 20.3.2018 द्वारा लंगासू–निवाडी–खेत–सिलंगी मोटर मार्ग के वन भूमि प्रस्ताव पर आपत्तियॉ लगाई गई है, जिसका बिन्दुवार निराकरण कर आख्या प्रेषित की जा रही है:–

क0स0	प्रश्न	उत्तर
1	FRA not complted . Please remove the objection	एफ0आर0ए0 पूर्ण कर निर्धारित कॉलम मे अपलोड कर दिया गया है । संलग्न– एफ0आर0ए0 की छायाप्रति।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीय

2/4/18

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड,लो0नि0वि0
गौचर (चमोली)

2-4-2018

FORM-1

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Chamoli

No--- **Dated-----**

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **3.09** hectares of forest land propose d to be diverted in favor of PWD Gauchar, Uttarakhand for Construction of New motor road "**Langasu-Niwari-Khet-Silangi**" in Chamoli district falls within jurisdiction "Langasu, Niwadi, Khet, Silangi, Ulfada & umrakot , in **Karanpryag** tehsil.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.870 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consolations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha 'Langasu, Niwadi, Khet, Silangi, Ulfada & umrakot ' sub-Division level Committee Karanpryag and the District Level Committee are enclosed as annexure …to …annexure….

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

29/3/18

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

जिलाधिकारी
चमोली

ANNEXURE....

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT Chamoli (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Asheesh Joshi, I.A.S District Magistrate Chamoli on date 29/3/18... at time 11:30 AM at Gopeshwar in which application claiming rights in Total area measuring **5.680** hect for the construction of motor road "**Langasu-Niwari-Khet-Silangi Motor road**" and forest land **3.09** hect under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Karanpryag sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Gopeshwar
Dated: 29.3.2018

29/3/18

District Magistrate-cum-Chairman
District Level Committee

जिलाधिकारी
चमोली

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– राज्य योजना के अन्तर्गत लंगासू - निवाणी - खेत - तिल्लंगी मो० मार्ग का निर्माण

कार्यालय उप जिलाधिकारी, कर्णप्रयाग

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, कर्णप्रयाग

उपखण्ड कर्णप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत लंगासू - निवाणी - खेत तिल्लंगी मो० मार्ग का निर्माण (1.780 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.210 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 1.12 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 3.09 हे0 वन भूमि) का उ० प्र० लो० नि० वि० गोचर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कर्णप्रयाग) की दिनांक 09.02.2010 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री विवेक प्रकाश, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री विवेक प्रकाश –उपजिलाधिकारी कर्णप्रयाग –अध्यक्ष
2– श्री माया लाल –उप प्रभागीय वनाधिकारी –सदस्य
3– श्री मोहन सिंह –सहायक समाज कल्याण अधिकारी –सदस्य / सचिव
4– श्री मालचन्द पुरोहित –बी0डी0सी0 क्षेत्र –सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि राज्य योजना के अन्तर्गत लंगासू - निवाणी - खेत - तिल्लंगी मो० मार्ग का नव- निर्माण –परियोजना हेतु 3.09 हे0 वन भूमि उ० प्र० लो० नि० वि० गोचर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, गोचर –द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008

के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कर्णप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत लंगासू - बिराही - रैल - सिलंगी - मो० मारा परियोजना के निर्माण हेतु ..... हे0 वन भूमि 3.01 प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– कर्णप्रयाग
जनपद चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– कर्णप्रयाग
जनपद चमोली

प्रपत्र–23.1

परियोजना का नाम :– राज्य योजना के अन्तर्गत लंगासू–निवाडी–खेत–सिंलगी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.09 हे0 सिविल/वन पंचायत/आरक्षित वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम का नाम– लंगासू–निवाड़ी
तहसील– जिला–चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत **लंगासू–निवाडी–खेत–सिलंगी मोटर मार्ग** के निर्माण हेतु **0.210 हे0 सिविल वन भूमि**, 1.05 हे0 वन पंचायत भूमि, 1.680 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.150 हे0 कुल 3.09 हे0 वन **भूमि** का **लोक निर्माण विभाग**/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम **लंगासू–निवाडी** द्वारा दिनांक 3.02.2016 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **लंगासू–निवाडी** के ग्रामवासियों को उक्त **भूमि का लोक निर्माण विभाग गौचर** प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रधान ग्राम पंचायत लंगासू
हस्ताक्षर समक्ष पंच
दिनांक
विकास खण्ड कर्णप्रयाग चमोली

ह0/– ज0एम0 जगवाल
ग्राम सचिव ग्रा0पं0वि0अ0

ह0/–
ग्राम प्रधान

प्रपत्र–23.1

दिनांक 03.02.16 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत लिगासू मिवोंडा

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	मोहन सिंह नेगी	Mohan Singh
2-	भगत सिंह नेगी	Bhagath
3-	नरेन्द्र सिंह खत्री	नरेन्द्र
4-	नन्दन सिंह रावत	Nandan Singh
5-	नरेन्द्र सिंह नेगी	नरेन्द्र सिंह
6-	नारायण सिंह खत्री	नारायण सिंह
7-	भूपेन्द्र सिंह खत्री	Bhupendra Singh
8-	कमल सिंह खत्री	कमल सिंह
9-	लक्ष्मण सिंह नेगी	लक्ष्मण सिंह
10-	उमराव सिंह नेगी	उमराव सिंह
11-	विक्रम सिंह खत्री	विक्रम सिंह
12-	कमल सिंह रावत	कमल सिंह
13-	बाहादुर सिंह	बाहादुर
14-	बलवीर सिंह नेगी	बलवीर
15-	दलवीर सिंह	दलवीर
16-	अनूप सिंह खत्री	अनूप सिंह
17-	यशवन्त सिंह खत्री	Yashwant
18-	अमित खत्री	Amit
19-	हेमन्त खत्री	हेमन्त
20-	राजेन्द्र सिंह खत्री	Rajendra Singh

प्रधान ग्राम पंचायत
हस्ताक्षर सपना देवी
विकास खण्ड नन्दप्रयाग (चमोली)

ह0/–
ग्राम प्रधान

प्रपत्र–23.1

परियोजना का नाम :– राज्य योजना के अन्तर्गत लंगासू–निवाडी–खेत–सिंलगी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.09 हे0 सिविल/वन पंचायत/आरक्षित वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम का नाम– खेत
तहसील– जिला–चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत **लंगासू–निवाडी–खेत–सिलंगी मोटर मार्ग** के निर्माण हेतु **0.210 हे0 सिविल वन भूमि**, 1.05 हे0 वन पंचायत भूमि, 1.680 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.150 हे0 कुल 3.09 हे0 वन **भूमि** का **लोक निर्माण विभाग**/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम **खेत** द्वारा दिनांक 3.02.2016 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **खेत** के ग्रामवासियों को उक्त **भूमि का लोक निर्माण विभाग गौचर** प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/– उ0एम0 नगवाल
ग्राम सचिव ग्रा0पं0वि0अ0

ह0/–
प्रधान

प्रपत्र–23.1

दिनांक 03-02-16 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत उमराकोट (बैडागू), मल्ला सेल

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	नरेन्द्र प्रसाद सती	Neel
2-	देवेन्द्र सिंह रावत	[illegible]
3-	आनन्द सिंह रावत	[illegible]
4-	योगेन्द्र सिंह रावत	Yogendra
5-	कमल सिंह रावत	[illegible]
6-	राकेश सिंह रावत	Rakesh
7-	राजेन्द्र सिंह रावत	Rajendra Singh
8-	महिपाल सिंह रावत	महिपाल
9-	दिगपाल सिंह रावत	Digpal
10-	प्रेम सिंह रावत	Prem
11-	अवतार सिंह रावत	अवतार
12-	सुरेन्द्र सिंह रावत	[illegible]
13-	गजे सिंह रावत	गजे सिंह
14-	नरेन्द्र सिंह रावत	नरेन्द्र

ह0/–
ग्राम प्रधान

प्रपत्र–23.1

दिनांक 30-12-16 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत उमराकोट बैडाणु (तल्ला खेत)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	युद्धवीर सिंह नेगी	युद्धवीर
2.	गब्बर सिंह नेगी	गब्बर
3.	रमेश सिंह नेगी	Ramesh
4.	धीरेन्द्र सिंह नेगी	Dhirendra
5.	गोपाल सिंह नेगी	Gopal
6.	माधो सिंह नेगी	Madusingh
7.	प्रदीप सिंह नेगी	Pradeep
8.	केदार सिंह नेगी	KSNegi
9.	बहादुर सिंह नेगी	BSNegi
10.	कुन्दन सिंह नेगी	Kundan
11.	कमल सिंह रावत	Kalam
12.		

उमराकोट बैडाणु वि०ख० कोटद्वार
ह0 Yogesh
दिनांक .....
ग्राम पंचायत - बमोली

ह0/–
ग्राम प्रधान

प्रपत्र–23.1

परियोजना का नाम :– राज्य योजना के अन्तर्गत लंगासू–निवाडी–खेत–सिंलगी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.09 हे0 सिविल/वन पंचायत/आरक्षित वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम का नाम– सिलंगी
तहसील– जिला–चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत **लंगासू–निवाडी–खेत–सिलंगी मोटर मार्ग** के निर्माण हेतु **0.210 हे0 सिविल वन भूमि**, 1.05 हे0 वन पंचायत भूमि, 1.680 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.150 हे0 कुल 3.09 हे0 वन **भूमि** का **लोक निर्माण विभाग**/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम **सिलंगी** द्वारा दिनांक 3-02-2016 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **सिलंगी** के ग्रामवासियों को उक्त **भूमि का लोक निर्माण विभाग गौचर** प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव
उप0एम0 नगवाल
ग्रा0पं0वि0अ0

ह0/–
ग्राम प्रधान
दीपा देवी
14/2/18

प्रपत्र–23.1

दिनांक 30-11-16 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत सिलंगी (चारमुखी)

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	कुन्दन सिंह चौहान	कुन्दन सिंह
2-	आलम सिंह चौहान	आलम
3-	रणजीत सिंह चौहान	रणजीत सिंह
4-	देव सिंह पुन्डीर	देव सिंह
5-	वीर सिंह पुन्डीर	वीर सिंह
6-	जसवीर सिंह चौहान	Yaboeer Singh
7-	मोहन सिंह पुन्डीर	मोहन सिंह
8-	धर्म सिंह पुन्डीर	धर्म सिंह
9-	दयाल सिंह विष्ट	दयाल सिंह
10-	वीरेन्द्र सिंह	वीरेन्द्र
11-	हरि सिंह	हरि
12-	दरवान सिंह पुन्डीर	दरवान
13-	बलवीर सिंह पुन्डीर	बलवीर
14-	पुष्कर सिंह	Puskar Singh
15-		

प्रधान ग्राम पंचायत सिलंगी
ह0 दीपा देवी
दिनांक .....
ग्राम प्रधान